न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–452 / 2026

अभिषेक कुमार उर्फ गोलू वगैरह बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–823 / 2025

अधीन धारा–126(2), 115(2), 118(1), 110, 303(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

13.03.2026

हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–823 / 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा–126(2), 115(2), 118(1), 110, 303(2), 352, 351(2), 3(5) में गिरफ्तारी की आशंका के कारण आवेदकगण **अभिषेक कुमार उर्फ गोलू उम्र–25 वर्ष पेसर–अरविन्द राय उर्फ बत्तख राय, विनय राय उम्र–45 वर्ष पेसर–राजेन्द्र राय, अरविन्द राय उम्र–56 वर्ष पेसर–राजेन्द्र राय, गुंजन कुमार उम्र–35 वर्ष पेसर–स्व0 रघुनाथ राय, सुरेन्द्र राय उम्र–60 वर्ष पेसर–स्व0 वीरचन्द्र राय, गुड्डू कुमार उम्र–26 वर्ष पेसर–स्व0 सुरेन्द्र राय एवं गुलशन कुमार उम्र–18 वर्ष पेसर–अरविन्द राय** सभी साकिन–गौसपुर इजरा, थाना–हाजीपुर सदर जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री सुधीर प्रसाद सिंह** एवं बिहार सरकार के तरफ से **श्री श्याम बाबु राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदकगण के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

आवेदक **गुलशन कुमार पेसर–अरविन्द राय** के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक गुलशन कुमार के विरूद्व उक्त कांड सत्य नहीं पाया गया है इसलिए आवेदक गुलशन कुमार के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक गुलशन कुमार पेसर अरविन्द राय का अग्रिम जमानत आवेदन वापसी के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि दिनांक–22.10.2025 को समय करीब 12.30 बजे दिन में सूचक अपने घर से बाजार जा रहा था तभी अचानक अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, विनय राय, अरविन्द राय, गुंजन कुमार, सुरेन्द्र राय, गुड्डू कुमार, गुलशन कुमार एवं अनमोल कुमार सभी अपने घर के सामने सूचक को घेर लिया और सूचक के बाईक को जमीन पर पटक दिया और सभी लोग मिलकर गाली देने लगे और मारने लगे। उसके बाद गोलू कुमार उर्फ अभिषेक आया और सूचक के पीठ पर रड एवं फरसा से मार दिया जिससे उसका पीठ कट गया एवं गुलशन कुमार ने सूचक के गले से सोने का चैन छीन लिया। अनमोल कुमार सूचक के पॉकेट से 5500 रुपया निकाल लिया। झगड़ा का कारण यह है कि दिनांक–20.10.2025 को सूचक अपने घर से बाजार जा रहा था तभी उक्त सभी लोग के घर के पास पहुंचा तो वे लोग अपने घर के पास सड़क पर बहुत उंचा ब्रेकर बना दिया है। सूचक बोला कि बहुत उंचा ब्रेकर है, थोड़ा नीचे कर दिजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बोल कर सूचक अपने घर वापस आया। इसी बात को लेकर उक्त सभी लोग मिलकर सूचक के साथ मारपीट एवं गाली

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–452/2026

अभिषेक कुमार उर्फ गोलू वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.03.2026 गलौज किये।

शेष आवेदकगण अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, विनय राय, अरविन्द राय, गुंजन कुमार, सुरेन्द्र राय एवं गुड्डू कुमार के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उसे इस मामले में झुठा फंसाया गया है। संपूर्ण अभियोजन मामला असत्य, बनावटी व मनगढ़न्त है। आवेदकगण गुंजन कुमार एवं सुरेन्द्र राय का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आवेदक अरविन्द राय एवं विनय राय के विरूद्व हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–625/2025 एवं हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–194/17 एवं आवेदक अभिषेक कुमार उर्फ गोलू के विरूद्व हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–194/17 एवं हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–501/21, आवेदक विनय राय के विरूद्व हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–685/25, हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–384/25 एवं हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–194/17, आवेदक गुड्डु कुमार के विरूद्व हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–685/25 लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदकगण एवं सूचक दोनों आपस में पट्टीदार है और उनके बीच भूमि विवाद है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि यह मामला हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या 825/2025 एवं 880/2025 का पलटा मुकदमा है और पलटा मुकदमा में समझौता के लिए उक्त मामला दर्ज कराया गया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के विरूद्व भारतीय न्याय संहिता की धारा–110 का आरोप नहीं बनता है। निवेदित है, आवेदकगण को अग्रिम जामनत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए खारिज करने का निवेदन करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिन पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर स्पीड ब्रेकर को नीचा करने की बात को लेकर सूचक को घेरकर गाली–गलौज कर उसके पीठ पर रड एवं फरसा से मारकर पीठ काट देने एवं उसके गले से सोने का चैन एवं पॉकेट से पचपन सौ रूपया निकाल लेने का आरोप है जिसका समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 06, 07, 08 एवं 38 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। लेकिन उक्त साक्षियों द्वारा सूचक के गले से सोने का चैन एवं पॉकेट से पचपन सौ रूपया निकाल लेने की बात का समर्थन नहीं किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 25 में जख्मी मुन्ना कुमार (सूचक) का जख्म प्रतिवेदन अंकित है जिसमें चिकित्सक द्वारा उसके जख्म को साधारण प्रकृति का पाया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, अभिलेख पर उपलब्ध सामाग्रियों एवं अभिलेख पर

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–452 / 2026

अभिषेक कुमार उर्फ गोलू वगैरह बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.03.2026 उपलब्ध कागजातों को देखते हुए प्रस्तुत मामले में आवेदकगण अभिषेक कुमार उर्फ गोलू, विनय राय, अरविन्द राय, गुंजन कुमार, सुरेन्द्र राय एवं गुड्डू कुमार को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः इस आदेश की तिथि से चार सप्ताह के भीतर आवेदकगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्म–समर्पण करने अथवा गिरफ्तार होने की स्थिति में आवेदकगण **अभिषेक कुमार उर्फ गोलू पेसर–अरविन्द राय उर्फ बत्तख राय, विनय राय पेसर–राजेन्द्र राय, अरविन्द राय पेसर–राजेन्द्र राय, गुंजन कुमार पेसर–स्व0 रघुनाथ राय, सुरेन्द्र राय पेसर–स्व0 वीरचन्द्र राय एवं गुड्डू कुमार पेसर–स्व0 सुरेन्द्र राय** को 10,000 / –(दस हजार रूपए) तथा उतनी ही समान राशि के दो प्रतिभूओं सहित धारा–482(2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की शर्तों के अधीन बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत मामले में अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official